



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1442]

No. 1442]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 6, 2012/श्रावण 15, 1934

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 6, 2012/SHRAVANA 15, 1934

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2012

का.आ. 1741(अ).—प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 2 के खंड (घ ख) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 14 फरवरी, 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की अधिसूचना संख्या का.आ. 278(अ), दिनांक 13 फरवरी, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करती है। उक्त अधिसूचना की तालिका में कॉलम (2) में क्रम संख्या 6 के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“अपर सचिव (एसीएल) एवं निदेशक (पुरातत्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, जिसका स्तर राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक अथवा पुरातत्व आयुक्त से कम नहीं है”

[फा. सं. 1/3/2012-एम]

जूथिका पाटणकर, अपर महानिदेशक

टिप्पणी : मुख्य अधिसूचना, भारत का राजपत्र (असाधारण) में संख्या का.आ. 278(अ), दिनांक 13 फरवरी, 2012 के तहत प्रकाशित की गई थी तथा तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधन किया गया :

1. का.आ. 499(अ), दिनांक 19 मार्च, 2012

MINISTRY OF CULTURE

(Archaeological Survey of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2012

S.O. 1741(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (db) of Section 2 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Culture (Archaeological Survey of India) S.O. 278(E), dated 13th February, 2012 published in the Gazette of India dated 14th February, 2012, in the Table to said notification against Serial Number 6, in column (2), for the entries, the following entries shall be substituted, namely :—

“Additional Secretary (ACL)-cum-Director (Archaeology), Government of the National Capital Territory of Delhi being officer not below the rank of Director of Archaeology or Commissioner of Archaeology of the State Government”

[F. No. 1/3/2012-M]

JUTHIKA PATANKAR, Addl. Director General

Note : The Principal Notification was published in the Gazette of India (Extraordinary) vide Number S.O. 278(E), dated the 13th February, 2012 and subsequently amended as under :

1. S.O. 499(E), dated the 19th March, 2012